सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एम. जेड. रहमान, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्र. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक **10/2018 दिनांक 04.10.2018**

कु0 पूनम रानी राजवाड़े **अपीलार्थी**
पिता तोमेश्वर प्रसाद राजवाड़े
कन्या परिसर रोड, पावर हाऊस के पास
विशुनपुर, वार्ड क्रमांक–48
अम्बिकापुर, पिन–497001

(EITC) Raipur
Receipt No. 5093
Date 06 NOV 2018
AGM
SE (O)/SE
EE Web
Section

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे **प्रतिअपीलार्थी**
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

–:: आदेश ::–
(दिनांक 24.10.2018 को पारित)

अपीलार्थी कु0 पूनम रानी राजवाड़े की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 10/2018 दिनांक 04.10.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी कु0 पूनम रानी राजवाड़े ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थीः–

माह मई दिनांक 31.05.2018 को आयोजित जे.ई.(ट्रेनी) की परीक्षा के संबंध में निम्न जानकारी प्रदाय बाबत् :–

i. जे.ई.(ट्रेनी) इलेक्ट्रीकल ब्रांच के ओ.बी.सी. वर्ग में आए समस्त अभ्यार्थियों की प्रवीण सूची नाम रोल नम्बर एवं प्राप्तांक/प्रतिशत की सत्यप्रतिलिपि।
ii. जे.ई.(ट्रेनी) इलेक्ट्रीकल ब्रांच के ओ.बी.सी. वर्ग में चयनित समस्त अभ्यार्थियों की उत्तरशीट की सत्यप्रतिलिपि।

उपरोक्त के तारतम्य में जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध न कराकर गुमराहजनक तरीके से भ्रामक जानकारी दी गई है जो स्वीकार्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जे.ई. (प्रशिक्षु–इलेक्ट्रीकल ब्रांच) भर्ती प्रक्रिया में उसके साथ हुई गलत कार्यवाही के संबंध में वांछित जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त करना चाहती है, जो अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिये अधिकृत है। अतः अपील प्रस्तुत है, अतएव वांछित जानकारी/दस्तोवज प्रदान करने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा जानकारी हेतु पूर्व में प्रेषित 03 पृथक–पृथक आवेदन पत्रों के तारतम्य में प्रथम अपील आवेदन (03 आवेदन पत्र) संलग्न करते हुए पंजीयन शुल्क रूपये 50/–मात्र का भुगतान भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प के द्वारा की गई है। जिसके संदर्भ में उक्ताशय की वस्तुस्थिति से आपको कार्यालयीन पत्र क्रमांक 28 दिनांक 17.10.2018 के माध्यम से अवगत करायी गई है कि पृथक–पृथक आवेदन पत्रों के संदर्भ में प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर (प्रत्येक आवेदन हेतु) अपील पंजीयन शुल्क रूपये 50/–मात्र का भुगतान नियमानुसार किया जाना है।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –10/2018/29 दिनांक 17.10.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 24.10.2018** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नही है, वस्तुतः प्रकरण में गुण दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदिका द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी प्रबंधक (मा.सं.) –आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र क्रमांक 2101 दिनांक 25.08.2018 के द्वारा लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अपने यू.ओ.नोट क्र. 684 दिनांक 31.08.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया कि **"पावर कंपनी द्वारा वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता (प्रशिक्षु) पद पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः उपरोक्त जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।"** उक्ताशय की वस्तुस्थिति से आवेदिका को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2167 दिनांक 01.09.2018 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत करायी गई।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि वह जे.ई. (प्रशिक्षु–इलेक्ट्रीकल ब्रांच) भर्ती प्रक्रिया में उनके साथ हुई गलत कार्यवाही के संबंध में वांछित जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त करना चाहती है, जो अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिये अधिकृत है। भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट 05.09.2018 को घोषित किया जा चुका है जिससे संबंधित दस्तावेजों की ही आवश्यकता प्रार्थिया को है किन्तु

जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने का हवाला देते हुए वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है। अतएव तत्संबंध में जो भी जानकारी/दस्तावेज हैं, उन्हें प्रदान की जावे।

(iii) उपरोक्त के प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कंडिका 02/टीप में वांछित बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज के संबंध में नियमानुसार वस्तुस्थिति से आवेदिका को अवगत करायी गई है, जो निम्नानुसार है :–

"पावर कंपनी द्वारा वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता (प्रशिक्षु) पद पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः उपरोक्त जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।"

(iv) **इसी अनुक्रम में लेख है कि कंडिका 02/टीप के बिन्दु क्रमांक 02 में वांछित जानकारी यथा समस्त चयनित ओ.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों की उत्तरशीट की प्रति जो तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी है, जिसका प्रकटन लोकहित में अपेक्षित नहीं है।**

(v) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपील क्रमांक CIC/WB/A/2008/01041 Dated 10.02.2010 श्री सुनील कुमार सिंह विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग में पारित निर्णय के अनुसार **"संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा दी जाने पर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में सूचना आयोग द्वारा अभिमत दिया गया है कि परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् जानकारी दी जा सकती है, परंतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में जितने अंक प्राप्त किये गये उन्हें दस्तावेजों के साथ बताया जाना उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नहीं है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है।"**

उपरोक्त के दृष्टिगत तत्कालीन समयावधि में उक्त भर्ती, प्रक्रियाधीन होने के कारण आवेदिका को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर वस्तुस्थिति से अवगत करायी गई है, वह उचित एवं कंडिका 5 (iii) (v) में दिये गये प्रत्युत्तर, नियमानुसार पर्याप्त परिलक्षित होते हैं, जो तर्कसंगत है। क्योंकि उपरोक्त समयावधि में उक्त भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, अतएव भर्ती प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज का प्रकटन विधिसंगत नहीं है।

जहाँ तक कंडिका 02/टीप की बिन्दु क्रमांक 02 में वांछित जानकारी का प्रश्न है **उक्त जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है। अतएव उत्तर पत्रक तक पहुंच उम्मीदवारों को प्रदान नहीं की जा सकती है, जो वैश्वासिक संबंध से संबंधित है, और वैश्वासिक संबंध है। जो परीक्षक एवं परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकारी के बीच विद्यमान होता है। अपीलार्थी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों से यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि उक्त सूचना दिये जाने मे लोकहित निहित है और जानकारी दिया जाना विधिसंगत है।**

कंडिका 02/टीप के बिन्दु क्रमांक 01 में अपीलार्थी के द्वारा जे.ई. (ट्रेनी) इलेक्ट्रीकल ब्रांच के ओ.बी.सी. वर्ग में आये समस्त अभ्यार्थियों की प्रवीण सूची, रोल नंबर, एवं प्राप्तांक/प्रतिशत सहित की जानकारी चाही गई है। जो कंडिका 05 (v) में उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकट किया जाना उचित नहीं है। यद्यपि अपीलार्थी जे.ई. (ट्रेनी) इलेक्ट्रीकल ब्रांच में ओ.बी.सी. वर्ग में चयनित समस्त अभ्यार्थियों की प्रवीण सूची, रोल नंबर, एवं प्राप्तांक/प्रतिशत सहित की जानकारी पावर कंपनी यथा

डस्ट्रीब्यूशन एवं ट्रांसमिशन कंपनी के (मानव संसाधन) रायपुर कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। अतएव परिणामतः प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वह न्याय संगत है, जो स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त कंडिका 06 के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 10/2018 दिनांक 04.10.2018) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –10/2018/ 34 **रायपुर, दिनांक** 24/10/2018

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. **कु0 पूनम रानी राजवाड़े, आ0 श्री तोमेश्वर प्रसाद राजवाड़े, कन्या परिसर रोड, पावर हाऊस के पास, विशुनपुर, वार्ड क्रमांक–48, अम्बिकापुर (छ.ग.), पिन–497001** को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष–0771–2512106,2512108

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700